[2019] 6 एस. सी. आर. 872

सत्यान

वी.

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स।

(सिविल अपील सं। 2976-2983 2019 का)

अप्रैल 30,2019

[संजय किशन कौल और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(कुछ भूमि हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978:

एस। 4 – अनुदानित भूमि के हस्तांतरण का निषेध-अनुदान में 15 साल की अवधि के लिए अनुदानित भूमि का हस्तांतरण न करने की शर्त रखी गई है-अनुदान के 15 साल बाद अनुदान के लाभार्थियों द्वारा अपीलार्थियों को हस्तांतरित की गई भूमि-आवेदन जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिक्री विलेख अवैध थे क्योंकि उन्हें सक्षम प्राधिकारी-सहायक की पूर्व अनुमति के बिना निष्पादित किया गया था। कमिश्नर सेट

बिक्री विलेखों को दरकिनार करते हुए-अपील में उपायुक्त द्वारा पुष्टि किया गया आदेश-आदेश की रिट याचिका और उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील में पुष्टि की गई-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-अपीलार्थियों की याचिका कि 15 साल की अवधि के बाद स्थानांतरण के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी-आयोजितः अपीलार्थी पूर्व अनुमति के आधार पर मामला बनाने की मांग करते हुए, उच्चतम न्यायालय की धाराओं की उप-धारा (2) के समक्ष ऐसी नई याचिका नहीं ले सकता है। 4 पूर्व अनुमति के बिना अधिनियम के शुरू होने के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।

सरकार का-इसलिए, 15 वर्षों की अवधि के बाद भी, पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी-सक्षम प्राधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उन लेनदेनों को रद्द करने के लिए कार्य किया था जो एस के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत थे। 4 (2) – 8 साल की देरी अपने आप में कार्रवाई करने वाले सक्षम प्राधिकारी के रास्ते में नहीं आ सकती है, अधिनियम एक लाभकारी कानून है-कर्नाटक भूमि अनुदान नियम, 1969 आर। 9 - विलम्ब/लेचेस।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 नीचे दिए गए सभी आदेश एक पर आधारित हैं

यह तर्क देते हुए कि जबकि अपीलार्थी ने एक मामला बनाने की मांग की थी कि अनुमति दी गई थी, वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी, और इस संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत पाए गए थे।

1.2 अपीलार्थी ने पूरे समय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के आधार पर मामला बनाने की मांग की थी। यह था। किसी का मामला नहीं है कि अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी, एक तथ्यात्मक स्थिति का सामना कर रहा है जहाँ अनुमतियाँ मौजूद नहीं हैं, अब यह तर्क देने के लिए एक और पुल बनाने की मांग की है कि किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है। दीवानी अपील के इस स्तर पर, बिना किसी अभिवचन के, अपीलार्थी के लिए यह वास्तव में खुला नहीं है कि उसने उस व्याख्या का अनुरोध किया हो जो उसने इस प्रकार करने का अनुरोध किया था। इसे केवल एक कानूनी याचिका के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और वह भी कार्यवाही के पदानुक्रम में जांच के पांचवें स्तर पर उठाया गया है।

[पैरा 26] [893-सी-डी]

और अनुसूचित जनजातियाँ, जिन्हें उनकी अज्ञानता और गरीबी के कारण भूमि दी गई थी। समाज के प्रभावशाली और शक्तिशाली वर्गों को बिक्री और बंधक प्राप्त करने के लिए कहा गया था और अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ परिस्थितियों का शिकार हो गईं। राज्य का उद्देश्य

उक्त अधिनियम को लागू करने में सरकार इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए थी और इसलिए, स्पष्ट शब्दों में, अनुमति के साथ स्थानांतरण निर्धारित किया गया था। यह अनुदान की शर्तें या उक्त नियम होंगे। इस प्रकार, क्या यह एक ऐसा मामला था जहां यह इसके भीतर था

पाँच (5) से पंद्रह (15) वर्ष की अवधि या पंद्रह (15) वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऐसी अनुमति की आवश्यकता होगी। [पैरा 27] [893 - ई-जी]

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम के अधिनियमन से पहले (और उसके बाद भी संशोधित) एक अलग अधिनियम के तहत अधिनियमित उक्त नियमों के नियम 9 में कुछ नियमों और शर्तों पर पांच (5) से पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के बीच हस्तांतरण पर विचार किया गया है, जिन्हें उप-राज्यपाल द्वारा संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। कमिश्नर। वास्तव में, ऐसी अनुमति देने में तब तक निषेध है जब तक कि डिप्टी [2019] 6 एस. सी. आर. की संतुष्टि न हो।

आयुक्त ने कहा कि हस्तांतरण अन्य भूमि के अधिग्रहण या शेष भूमि में सुधार के उद्देश्य से किया गया है और अनुदान प्राप्तकर्ता ऐसी हस्तांतरण की मंजूरी की तारीख को ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर राशि सरकार को जमा करता है। इस प्रकार, पाँच (5) से पंद्रह (15) वर्षों की अवधि के भीतर हस्तांतरण के लिए अधिक कठोर शर्तें रखी गई हैं।

[पैरा 28] [893-एच; 894-ए-बी]

1.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अवधि के बाद अनुमति देने या न देने के निर्णय पर पहुंचने का कारण पंद्रह (15) वर्ष इस तरह के विचारों से प्रभावित हो सकते हैं या नहीं भी। लेकिन निश्चित रूप से, वह खुद को संतुष्ट कर सकता है कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जिन्हें भूमि आवंटित की गई है, उन्हें यात्रा के लिए नहीं लिया जाता है, और यह संभवतः दर्ज किए गए कारणों से उनके सर्वोत्तम हित में है कि

अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के शब्द इसके शब्दों में काफी स्पष्ट हैं। [पैरा 29] [894-सी-डी]

1.6 अधिनियम की धारा 4, जो उप-धारा (1) में दी गई भूमि के हस्तांतरण के निषेध से संबंधित है, एक गैर-बाधा खंड से शुरू होती है। यह किसी भी समझौते, अनुबंध या साधन में या किसी भी कानून में उस मामले के लिए कुछ भी होने के बावजूद है। उक्त अधिनियम की धारा 11 उक्त अधिनियम को एक ओवरराइडिंग देकर इसे आगे लागू करती है।

किसी अन्य कानून पर प्रभाव। [पैरा 30] [894-ई]

1.7 धारा 4 अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में दिए गए अनुदानों के लिए लागू होती है। अनुदान की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) का अंतिम भाग उप-धारा (2) का उल्लंघन करने वाले किसी भी हस्तांतरण को भी अमान्य बनाता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) अपनी शर्तों में स्पष्ट और स्पष्ट है, जो हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।

अधिनियम के प्रारंभ के बाद, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना। इस प्रकार, प्रावधान को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी कोई दो व्याख्याएँ नहीं हैं। इसके बाद पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के लिए भी अनुमति लेने की आवश्यकता थी। [पैरा 31] [894-जी-एच; 895-ए]

1.8 निचली अदालतों ने कोई गलती नहीं की, और सक्षम

प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उन लेन-देनों को रद्द करने के लिए कार्य किया है जो SATYAN v की धारा 4 (2) के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं।

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स।

अधिनियम, और निष्पादन के तरीके ने कई लोगों को उठाया [पैरा 36] [896-ई-एफ]

धर्म नायका बनाम। रामा नायका और अन्न। (2008) 14 एससीसी

517 [2008] 2 एस. सी. आर. 451-पर निर्भर।

मंचेगौड़ा और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य।

(1984) 3 एससीसी 301: [1984] 3 एस. सी. आर. 502; इब्राहिमपट्टनम

तालुक व्यासया कुली संघम बनाम। के. सुरेश रेड्डी

& ओआरएस। (2003) 7 एससीसी 667: [2003] 2 पूरक। एससीआर 698;

सितु साहू और ओआरएस। वी. झारखंड राज्य और अन्य। (2004)

8 एससीसी 340: [2004] 3 एस. सी. आर. 504; छेदी लाल यादव और

ओआरएस। वी. हरि किशोर यादव (मृत)

कानूनी प्रतिनिधि और अन्य। (2018) 12 एससीसी 527;

हरिश्चंद्र हेगड़े बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य।

(2004) 9 एससीसी 780: [2003] 6 पूरक। एससीआर 1111; के. डी.

शर्मा बनाम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य। (2008)

12 एससीसी 481: [2008] 10 एस. सी. आर. 454; ए. षण्मुगम बनाम।

मदालया

वामसथु

आरिया क्षत्रिय राजकुला

नंदवन परिपलनाई संगम द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

अध्यक्ष और अन्य। (2012) 6 एससीसी 430: [2012] 4 एससीआर

74 ; हरि नारायण बनाम। बद्री दास [1964] 2 एस. सी. आर. 203 -

संदर्भित किया गया।

2. आठ (8) वर्षों की देरी अपने आप में नहीं आ सकती है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभकारी कानून जनजाति समुदाय। [पारस 33 और 34] [895-जी; 896-ए-सी]

अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम। तेज बहादुर प्रजापति और अन्य।

(2004) 10 एस. सी. सी. 65 [2003] 6 पूरक। एससीआर 42

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1984] 3 एससीआर 502

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 पूरक। एससीआर 698

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2004] 3 एससीआर 504

संदर्भित किया गया है

(2018) 12 एस. सी. सी. 527

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

[2008] 2 एससीआर 451

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1111

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2003] 6 पूरक। एससीआर 42

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[2008] 10 एससीआर 454

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

[2012] 4 एससीआर 74

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

[1964] 2 एससीआर 203

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2976

2983 2019 से।

उच्च न्यायालय के 16.10.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

बैंगलोर में कर्नाटक का न्यायालय लिखित अपील सं। 335 2009 (एससी/एसटी) का आदेश और रिट अपील संख्या में 29.10.2009 का आदेश। 321 , 325 , 327 , 329 , 331 , 336 और 2009 का 349 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)।

दुष्यंत ए. डेव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मृत्युंजय सिंह, सुश्री स्वाति

भारद्वाज, सुश्री प्रीति पंवार (मेसर्स के लिए)। वकीलों की बुनाई और कंपनी), अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह,

सूरज कौशिक (एम/एस के लिए। नुली और नुली), कृष्ण कुमार सिंह (एम. पी. शोरावाला के लिए), वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. कर्नाटक राज्य सरकार ने सदस्यों को भूमि प्रदान की

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता करने और उन्हें कृषि के माध्यम से स्व-रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए, जो भूमि कृषि भूमि के रूप में दी गई है। 1980 के दशक की शुरुआत में, निजी उत्तरदाता संख्या 3 को लगभग 1 करोड़ की भूमि पर इस तरह के अनुदान का लाभार्थी बनाया गया था। इनमें से प्रत्येक लाभार्थी के लिए दो (2) एकड़, आठ (8), बन्निकुप्पे गाँव, बिदादी होबली, रामनगरम, बैंगलोर ग्रामीण ज़िले में। ये अनुदान कुछ प्रतिबंधों के साथ आए थे,

विशेष रूप से क्रा हस्तांतरण, ताकि जिस उद्देश्य के साथ भूमि आवंटित की गई है, वह विफल न हो। हम चिंतित हैं, वर्तमान में

अपील, सभी आठ सत्यन बनाम द्वारा अपीलार्थी को इन भूमि के हस्तांतरण के साथ।

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

(8) लाभार्थी, अगस्त और सितंबर, 1997 में, जिन्हें कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजातियों के हस्तांतरण का निषेध) के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा रद्द करने की मांग की गई थी।

कुछ भूमि) अधिनियम, 1978 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित)।

2. दिए गए अनुदान समान शर्तों पर हैं, और वर्तमान विवाद के लिए, अनुदान का खंड 8 सामग्री है, जो पंद्रह (15) वर्षों की अवधि के लिए गैर-अलगाव की शर्त रखता है। यह खंड कर्नाटक भूमि अनुदान नियम, 1969 के नियम 9 (i) के अनुसरण में प्रतीत होता है।

(कर्नाटक भूमि राजस्व की धारा 197 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तैयार किए गए 'उक्त नियम') अधिनियम, 1964। उक्त नियम 9, प्रासंगिक तिथि पर लागू होने की सीमा तक, निम्नानुसार हैः

" 9. अनुदान की शर्तेंः - (1) इन नियमों (कृषि उद्देश्यों के लिए) के तहत भूमि का अनुदान निम्नलिखित के अधीन होगाः

शर्तें अर्थात्ः

(i) अनुदान प्राप्तकर्ता पंद्रह की अवधि के लिए भूमि को अलग नहीं करेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978 (1979 का कर्नाटक अधिनियम 2) और ऐसी शर्तें जो उपायुक्त द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, ऐसी भूमि के पूरे या किसी भी हिस्से को अलग करना। लेकिन हालांकि, उपायुक्त ऐसी अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि अलगाव अन्य प्राप्त करने के उद्देश्य से है।

भूमि या शेष भूमि में सुधार के लिए और अनुदान प्राप्तकर्ता सरकार को ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का ऋण देता है जो ऐसे हस्तांतरण की मंजूरी की तारीख को हो।

उपायुक्त द्वारा निर्धारित किया गयाः

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने नियम के तहत भूमि को अलग करने की अनुमति प्राप्त की है, नियम 4 के प्रावधानों के बावजूद किसी भी सरकारी भूमि के अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा।

हम देख सकते हैं कि खंड (i) में पंद्रह (15) वर्षों की अवधि दिनांकित 23.4.2005 अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित की गई है, जिसके प्रभाव से

25.4.2005 , कुछ अन्य संशोधनों के साथ, पच्चीस (25) वर्षों के साथ।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. अपीलार्थी ने निजी उत्तरदाताओं से अलग-अलग तिथियों के बिक्री विलेखों के माध्यम से भूमि खरीदी, लेकिन पंद्रह (15) वर्षों की अवधि से आगे। बिक्री विलेखों को निजी उत्तरदाताओं द्वारा अपने वकील के माध्यम से अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जो इसमें अपीलार्थी की पत्नी है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (संक्षेप में 'जी. पी. ए.') की तिथि 16.12.1996 (दिनांकित 5.4.2019 के आदेश के अनुसरण में प्रकट की गई) बताई गई है और प्रत्येक बिक्री विलेख के लिए प्रतिफल समान है, अर्थात रु. 4.5 लाख और ऐसे सभी भुगतान नकद में किए गए हैं। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि जी. पी. ए. की तिथि पंद्रह (15) वर्षों की समाप्ति से पहले की है। यह अपीलार्थी का मामला है कि इन बिक्री विलेखों को सक्षम व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करने के बाद निष्पादित किया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत प्राधिकरण। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

" 4. प्रदत्त भूमि के हस्तांतरण का निषेध। (1)

किसी भी कानून, समझौते, अनुबंध या लिखत में कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में दी गई भूमि का कोई भी हस्तांतरण, ऐसी भूमि के अनुदान की शर्तों या ऐसे अनुदान के लिए प्रावधान करने वाली कानून या उप-धारा (2) का उल्लंघन करते हुए, शून्य और शून्य होगा और ऐसी भूमि में कोई भी अधिकार, स्वामित्व या हित व्यक्त नहीं किया जाएगा या कभी भी व्यक्त नहीं किया गया माना जाएगा।

इस तरह के हस्तांतरण द्वारा।

(2) इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति पूर्ववर्ती प्रावधान के बिना किसी भी स्वीकृत भूमि का हस्तांतरण या अधिग्रहण नहीं करेगा।

सरकार की अनुमति।
(3) उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान सिविल के डिक्री या आदेश के निष्पादन में किसी भी भूमि की बिक्री पर भी लागू होंगे।

न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी का कोई पुरस्कार या आदेश।

4. ग्रामीणों द्वारा 10.10.2005 पर एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिक्री विलेख अवैध थे और बिना पूर्व के निष्पादित किए गए थे। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति। इसने विचाराधीन लेन-देन की जांच शुरू कर दी।

5. जाँच पर, सहायक आयुक्त ने 5.5.2006 दिनांकित एक आदेश पारित किया, जिसमें बिक्री विलेखों को अलग रखा गया और बिक्री पत्र की बहाली का निर्देश दिया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत मूल आबंटियों को भूमि। उपायुक्त के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील की गई थी 14.11.2006 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में इन आदेशों पर हमला किया, लेकिन वह सत्यन बनाम।

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

प्रयास भी विफल हो गया जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने 15.12.2008 पर याचिका खारिज कर दी। उसी के खिलाफ दायर रिट अपील को दिनांक 16.10.2009 के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। विवादित आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (संक्षिप्त 'एसएलपी' के लिए) में, आज की तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश 23.3.2012 पर पारित किया गया था और,

7. श्री दुष्यंत दवे, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील, ने अपनी दलीलों के दौरान, वास्तव में एक पूरी तरह से अपनाने की मांग की अलग याचिका, जो नीचे दिए गए मंचों में नहीं उठाई गई थी। याचिका उक्त अधिनियम की धारा 4 को दी जाने वाली व्याख्या पर आधारित है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि उक्त नियमों का नियम 9 (यद्यपि एक अलग क़ानून के तहत अधिनियमित) अनुदान की शर्तों के संबंध में उक्त अधिनियम का संदर्भ देता है। इस संबंध में, हमारे

प्रतिबंध केवल पंद्रह (15) वर्षों की अवधि के लिए है, और उस अवधि के भीतर भी, पांच (5) वर्षों की अवधि के बाद, कुछ शर्तों को पूरा करने पर, अलगाव संभव है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के बाद कोई अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि न तो अनुदान और न ही उपरोक्त नियम 9 ऐसी संभावना से संबंधित है। एक बाद का विकास, के अधिनियमन के बाद उक्त नियम, लेकिन विचाराधीन लेन-देन से पहले, 6.9.1993 से प्रभावी, GSR 169 दिनांक 26.8.1993 के माध्यम से परंतुक का सम्मिलन है।

( ), जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि पांच (5) से पंद्रह (15) वर्षों की अवधि के भीतर दी जाने वाली अनुमति भी उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. संक्षेप में, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क था कि अनुमति दी गई थी या नहीं, यह मुद्दा बन जाता है

अप्रासंगिक क्योंकि भूमि अनुदान की तारीख से पंद्रह (15) वर्षों के बाद ऐसी कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। 9. विद्वान वकील ने मंचेगौड़ा और अन्य मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियों से ताकत हासिल करने की कोशिश की। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। , 1 विशेष रूप से पैरा 24। उक्त मामला एक संवैधानिक मामले से संबंधित है

उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 को चुनौती दी गई। चुनौती को खारिज कर दिया गया। न्यायालय द्वारा जांचे गए विवाद की प्रकृति के बारे में, उक्त निर्णय के पैरा 7 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

" 7. अधिनियम की वैधता को मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 4 और 5 में निहित प्रावधानों के कारण चुनौती दी गई है जो अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में किए गए "स्वीकृत भूमि" के हस्तांतरण की घोषणा करने का तात्पर्य है। ऐसी भूमि के अनुदान की शर्तें या ऐसे अनुदान के लिए प्रावधान करने वाली कानून शून्य और शून्य है और ऐसी भूमि के कब्जे वाले सभी व्यक्तियों को बेदखल करने के बाद उस पर कब्जा करने और मूल अनुदानकर्ता या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को ऐसी भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए प्राधिकरण को शक्तियां प्रदान करती है और जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति को भूमि को पुनर्स्थापित करना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है।

ऐसी भूमि के अनुदान से संबंधित नियमों के अनुसार। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है क्योंकि यह अधिनियम के प्रारंभ के बाद स्वीकृत भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है और मुख्य आपत्ति -

अधिनियम की वैधता अधिनियम के प्रावधानों के कारण ली गई है जो पहले से प्रभावी स्वीकृत भूमि के हस्तांतरण को रद्द करने की मांग करते हैं। अधिनियम की शुरुआत "।

10. इस प्रकार, उपरोक्त से पता चलेगा कि वास्तविक विवाद उक्त अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए अनुदानों पर भी लागू किए जाने के कारण उत्पन्न हुआ था। इसमें यह इस संदर्भ में कि न्यायालय ने पैरा 24 में निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 24. यद्यपि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधिनियम वैध है, फिर भी, हमारी राय में, हमें कुछ पहलुओं को स्पष्ट करना होगा। अनुदानित भूमि जो अवधि की समाप्ति के बाद हस्तांतरित की गई थी निषेध अधिनियम के दायरे में नहीं आता है, और नहीं आ सकता है

1 (1984) 3 एस. सी. सी. 301 सत्यन बनाम।

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। द.

अधिनियम के प्रावधान इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि धारा 4 और 5 केवल तभी लागू होती हैं जब दी गई भूमि को ऐसे हस्तांतरण पर निषेध से संबंधित शर्त का उल्लंघन करते हुए हस्तांतरित किया जाता है।

प्रदान की गई भूमि। इससे पहले हस्तांतरित की गई स्वीकृत भूमि

अधिनियम का प्रारंभ और हस्तांतरण पर निषेध का उल्लंघन स्पष्ट रूप से वर्तमान के दायरे और दायरे से बाहर है। एक्ट करें। इसके अलावा उस मामले में भी जहां इस तरह के हस्तांतरण पर प्रतिबंध के संबंध में शर्त का उल्लंघन करते हुए अधिनियम के प्रारंभ से पहले दी गई भूमि का हस्तांतरण किया गया था और हस्तांतरणकर्ता जिसने शुरू में ऐसी दी गई भूमि में केवल एक अमान्य अधिकार प्राप्त किया था, ने दी गई भूमि में अपने अधिकार को लंबे समय तक और निरंतर प्रिस्क्रिप्शन द्वारा पूर्ण किया था।

कानून के अनुसार इसका आनंद लेना

अधिनियम के प्रारंभ पर विहित अधिकारों के अधिग्रहण के कारण ऐसे हस्तांतरणकर्ताओं का खिताब अमान्य होना बंद हो गया था। अपेक्षित अवधि के लिए लंबे और निरंतर उपयोगकर्ता के खाते में, ऐसे हस्तांतरणकर्ताओं के शीर्षक को संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किए बिना अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता था। इसलिए, हमें यह अभिनिर्धारित करते हुए अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ना चाहिए कि यह अधिनियम केवल उन मामलों में स्वीकृत भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली शर्त का उल्लंघन करते हुए दिए गए भूमि के हस्तांतरण पर लागू होगा जहां हस्तांतरणकर्ता द्वारा अधिग्रहित स्वामित्व अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक अभी भी अमान्य था और अधिनियम के लागू होने की तारीख तक अपना दोषपूर्ण चरित्र नहीं खोया था। अधिनियम के प्रारंभ में पूर्ण और अमान्य अधिकार नहीं रखने वाली स्वीकृत भूमि के हस्तांतरणकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर माना जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि किसी भी हस्तांतरणकर्ता के अधिकार को अमान्य करने का प्रभाव न पड़े जो अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अमान्य नहीं था।

11. हालाँकि, श्री डेव का तर्क था कि उपरोक्त इंगित करता है कि स्वीकृत भूमि, जो निषेध की अवधि के बाद हस्तांतरित की गई थी, अधिनियम के दायरे में नहीं आती है। ये स्वीकृत भूमि, प्रारंभ [2019] 6 एस. सी. आर. से पहले हस्तांतरित की गई।

उक्त अधिनियम का, और हस्तांतरण के संबंध में शर्तों का उल्लंघन नहीं करना स्पष्ट रूप से उक्त अधिनियम के दायरे और दायरे से बाहर है। इसी तरह, हस्तांतरण के निषेध से संबंधित शर्तों का उल्लंघन करते हुए उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले किए गए हस्तांतरण, जहां अधिनियम के प्रारंभ से पहले, प्रिस्क्रिप्शन द्वारा, कानून के अनुसार लंबे और निरंतर आनंद द्वारा, उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। 12. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डेव के निवेदन का दूसरा अंग यह था कि निपटाये गए लेनदेन को लंबे समय के बाद बाधित नहीं किया जा सकता है। लेन-देन वर्ष 1997 के थे। वर्ष 2005 में एक आवेदन को प्राथमिकता देकर, लगभग आठ (8) वर्षों के बाद उन्हें अस्थिर करने की मांग की गई थी। इस याचिका का समर्थन करने के लिए, उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख कियाः

ए। इब्राहिमपट्टनम तालुक व्यासया कुली संघम बनाम। के.

सुरेश रेड्डी और Ors.[2]-- अपील में तय किए जाने वाले प्रश्न को पैरा 1 में संदर्भित किया गया है और प्रश्न का उत्तर पैरा 19 में दिया गया है। पैरा 1 और 19 दोनों को नीचे पढ़ा गया हैः

" 1. इन सभी अपीलों में, कानून का निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है

विचार के लिएः

इस बात का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है कि अधिकारियों ने इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उप-धारा (4) को इस प्रकार जोड़ा गया था ताकि ऐसी कार्रवाई की जा सके कि भूमि सीमा के प्रावधानों को विफल करने के लिए अलगाव या हस्तांतरण किए गए थे। एक्ट करें। भूमि सीमा अधिनियम 1-1 से लागू हो गया है।

2 (2003) 7 एस. सी. सी. 667 ATYAN v.

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

1975 , अधिकारियों को पूछताछ और प्रयास करने चाहिए थे ताकि उचित समय के भीतर स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया जा सके। कई वर्षों के बाद स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने में संयुक्त कलेक्टर की कार्रवाई और सत्यापन प्रमाणपत्रों को रद्द करने के आदेश पारित करना।

तहसीलदार द्वारा दिए गए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था, को कायम नहीं रखा जा सका।

इस प्रकार, ई अनुपात यह है कि इस तरह की स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग यथासंभव समय की अवधि के लिए किया जाना चाहिए।

सितु साहू और ओआरएस। वी. झारखंड राज्य & Ors.[3]-द

लेन-देन के संबंध में शक्ति का प्रयोग, जिसकी आवश्यकता होती है

उपायुक्त की पूर्व मंजूरी फिर से थी

एक के रूप में देखा गया जिसे एक के भीतर प्रयोग किया जाना था उचित समय अवधि।

छेदी लाल यादव और अन्य। वी. हरि किशोर यादव (मृत)

कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से & Ors.4-दृष्टिकोण

में व्यक्त किया गया उपरोक्त दो निर्णयों के समान है

पैरा 13, निम्नानुसारः

" 13. हमारे विचार में, जहां सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वह स्वतः हो या

उचित समय के भीतर पक्षों का आवेदन। निस्संदेह, उचित समय क्या है, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और क़ानून के उद्देश्य पर निर्भर करेगा।

हमारे समक्ष मामले में, हम स्पष्ट हैं कि कार्रवाई में बहुत देरी हुई है और उचित समय से परे की गई है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अवधि के दौरान भूमि का कई बार हस्तांतरण किया गया था, जाहिर है, इस विश्वास में कि यह नहीं है।

किसी भी अधिकार से ग्रस्त "।

विवेक एम. हिंदुजा बनाम एम. अस्वथा और Ors.5-प्रावधान

उक्त अधिनियम का मुद्दा जारी था, जहाँ 1998 में 1967 के पुराने लेनदेन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई थी, और इसे एक लंबी देरी माना गया था, जो इस तरह की शक्ति के प्रयोग की गारंटी नहीं देता था। सीसी 340

एस. सी. सी. 527 अल नं. 2166/2009,6.12.2017 [2019] 6 एस. सी. आर. पर तय किया गया।

13. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा अहमदी ने विवादित आदेशों का बचाव करने की मांग की।

उन्होंने उक्त की धारा 4 को दी जाने वाली व्याख्या पर आपत्ति जताई।

अधिनियम, जिसे उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ा जाता है, इस बात पर जोर देते हुए कि उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भूमि के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रतिबंध वैधानिक है

चरित्र में, यह उनका निवेदन था कि उक्त अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध इस तरह के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है, भले ही अनुदान ने केवल पंद्रह (15) वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया हो। इस प्रकार, दोनों के मामले में, पाँच (5) से पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के साथ-साथ पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के बाद, यह बार लागू होगा, क्योंकि बार अनुदान की किसी भी अवधि के लिए योग्य नहीं है, उक्त अधिनियम के तहत।

14. श्री अहमदी ने यह भी तर्क दिया कि उक्त नियमों का नियम 9 किसी भी तरह से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव को कम नहीं कर सकता है, विशेष रूप से क्योंकि उक्त अधिनियम बाद में लागू हुआ था। नियम 9 के परंतुक में संशोधन का अर्थ यह नहीं होगा कि अनुमति केवल पाँच (5) से पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त की जानी चाहिए, जबकि पंद्रह (15) वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

15. इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए, प्रावधान के सादे पठन के अलावा, उन्होंने व्यापक पर भी अपने तर्क का समर्थन करने की मांग की।

उक्त अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण से उपलब्ध है, जो निम्नानुसार हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1979 का कर्नाटक अधिनियम संख्या 2

कर्नाटक राजपत्र, असाधारण, दिनांक 30.6.1978

मौजूदा भूमि अनुदान नियमों में निहित गैर-हस्तांतरण खंड और अनुदान को रद्द करने का प्रावधान जहां उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए भूमि का हस्तांतरण किया जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुदान प्राप्त करने वालों की मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए जाते हैं, जिनकी अज्ञानता और गरीबी का समृद्ध और शक्तिशाली वर्गों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा शोषण किया गया है।

परिस्थितियाँ। अनुदान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, भूमि भले ही अलग कर दी गई हो, मूल अनुदान प्राप्तकर्ता को बहाल की जानी चाहिए या उनके उत्तराधिकारी।

सत्यान वी. डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

भारत सरकार भी राज्य से आग्रह करती रही है सरकार द्वारा तैयार किए गए और वितरित किए गए आदर्श विधान की तर्ज पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए एक कानून बनाने के लिए सरकार

राज्य सरकार को।

इसलिए विधेयक "।

16. इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिक समृद्ध व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के शोषण को रोकना था, इसका कोई कारण नहीं था

एक अलग अधिनियम के तहत अधिनियमित उक्त नियमों के पहले के नियम 9 के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रावधानों को पढ़ना।

17. जहाँ तक मंचेगौड़ा और ओआरएस में टिप्पणियों का संबंध है। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य संबंधित हैं, इस तथ्य पर जोर दिया गया

कि जबकि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पैरा 24 को अलग से पढ़ने की मांग की थी, उसी को उस संदर्भ में पढ़ा जाना था जो निर्णय लेने की मांग की गई थी, जो पैरा 7 और 14 से स्पष्ट होगा। हम पहले ही पैरा 7 और 24 निकाल चुके हैं। जिस याचिका का आग्रह करने की मांग की गई थी, वह पैरा 14 में दी गई है, जो इस प्रकार हैः

" 14. हमारे समक्ष जो दृढ़ता से आग्रह किया गया है वह यह है कि धारा 4 में निहित प्रावधान, जहां तक अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए हस्तांतरण को रद्द करने की बात है, अमान्य हैं। ”

18. यह उनका निवेदन है कि, इस प्रकार, तीन पैराग्राफ को एक साथ पढ़ना राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए मामले का समर्थन करता है। जिसे अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा स्पष्ट करने की मांग की गई थी।

19. जहां तक पूर्व अनुमति की आवश्यकता है

सक्षम प्राधिकारी संबंधित है, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह था

हमारे समक्ष सुनवाई से पहले अपीलार्थी का मामला कभी नहीं कि इस तरह की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इस संबंध में, उन्होंने सारांश सहित इस संबंध में दलीलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

20. विद्वान वकील ने कुछ न्यायिक मामलों का भी उल्लेख किया

इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए घोषणाएं कि इस तरह की पूर्व अनुमति की आवश्यकता इसी तरह के मामलों में होगी, जिसमें उक्त अधिनियम के प्रावधान भी शामिल हैं। हम नीचे उसी पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैंः

धर्म नायका बनाम। राम नायका और Anr.7-निर्णयउक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ पट्टा देता है। यह देखा गया है कि

बारस 17 से 21 और 24 निम्नानुसार हैंः

" 17. इन प्रावधानों और अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों पर विचार करें। विद्वान वकील के अनुसार

अपीलार्थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दी गई भूमि का हस्तांतरण निषिद्ध अवधि की समाप्ति के बाद और अधिनियम के लागू होने से पहले किया गया था, इस तरह के हस्तांतरण को अधिनियम की धारा 4 (2) में निहित प्रावधानों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 3 (1) (ई) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था, जो "हस्तांतरण" को परिभाषित करती है। हम पहले ही "स्थानांतरण" की परिभाषा पर चर्चा कर चुके हैं। अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 4 के तहत लगाया गया निषेध लागू नहीं होगा

वर्तमान मामले के तथ्य। जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त को देखते हुए, उच्च न्यायालय के साथ-साथ नीचे दिए गए अधिकारियों ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी कि अधिनियम के प्रारंभ के बाद निष्पादित और पंजीकृत बिक्री विलेख को अमान्य पाया जाना चाहिए और उक्त बिक्री विलेख द्वारा, दी गई भूमि में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज को सहायक आयुक्त द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बहाल किया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 5 के तहत, उत्तरदाताओं को।

18. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का यह प्रस्तुतिकरण

के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा चुनौती दी गई थी

उत्तरदाताओं। विद्वान वकील के अनुसार

प्रत्यर्थियों, स्वीकृत भूमि के हस्तांतरण को अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि बिक्री विलेख अधिनियम के प्रारंभ के बाद निष्पादित और पंजीकृत किया गया था। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि धारा 4 में निहित निषेध को देखते हुए

अधिनियम, भले ही हस्तांतरण पहले किया गया था बिक्री के लिए समझौते को ध्यान में रखते हुए अधिनियम का प्रारंभ, तब से जब से बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत किया गया था

सी. सी. 517 टयान बनाम। डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

अधिनियम के प्रारंभ के बाद, इसे अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए और इसलिए, ऐसी प्रदत्त भूमि में किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित को इस तरह के हस्तांतरण द्वारा कभी भी व्यक्त नहीं किया जाएगा या माना जाएगा और यह स्थिति होने के कारण, विवादित निर्णय के साथ-साथ अधिकारियों के आदेशों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

19. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद और अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों और प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने के बाद, जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, गहराई से और विस्तार से, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ नहीं हो सकती हैं।

स्वीकार कर लिया। यह सच है कि दी गई भूमि के संबंध में बिक्री के लिए समझौता अधिनियम के प्रारंभ से पहले निष्पादित किया गया था। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि अधिनियम के तहत "हस्तांतरण" में बेचने का समझौता भी शामिल है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आइए अब देखें कि क्या अधिनियम की धारा 4 को ध्यान में रखते हुए, भूमि का हस्तांतरण, जिसके संबंध में बिक्री के लिए समझौता पहले निष्पादित किया गया था

अधिनियम का प्रारंभ लेकिन जो इसके बाद प्रभावी हुआ

विक्रय विलेख के निष्पादन और पंजीकरण द्वारा अधिनियम के प्रारंभ को अमान्य कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 4 (1) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि किसी भी कानून, समझौते, अनुबंध या अनुबंध में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद।

अनुदानित भूमि का कोई भी हस्तांतरण जो या तो पहले किया गया हो

या अधिनियम के प्रारंभ के बाद या तो (ए) ऐसी भूमि के अनुदान की शर्तों; या (बी) ऐसे अनुदान के लिए प्रावधान करने वाले कानून के प्रावधान; या (सी) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के उल्लंघन में शून्य और शून्य होगा और ऐसी भूमि में कोई भी अधिकार, स्वामित्व या ब्याज इस तरह के हस्तांतरण द्वारा व्यक्त नहीं किया जाएगा या कभी भी व्यक्त नहीं किया गया माना जाएगा।

इसलिए, अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह प्रावधान किसी भी हस्तांतरण को स्वीकृत घोषित करता है।

अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में बनाई गई भूमि अमान्य होगी यदि वह उसमें निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करती है।

20. अधिनियम की धारा 4 (2), जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, अधिनियम के प्रारंभ के बाद यानी 1-1-1979 के बाद दी गई भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। जे. पी. आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट अनुभाग के उद्देश्य के लिए

4 (2) , न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि (1) बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था और अधिनियम के प्रारंभ के बाद पंजीकृत किया गया था। अधिनियम, और (2) इसे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निष्पादित और पंजीकृत किया गया था।

इसलिए, धारा 4 (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई हस्तांतरणकर्ता सरकार की अनुमति के बिना अनुदान प्राप्तकर्ता से दी गई भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है और न ही अनुदान प्राप्तकर्ता सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना इसे हस्तांतरित कर सकता है।

21. हम पहले ही अधिनियम की योजना के साथ-साथ उन उद्देश्यों और कारणों पर भी विचार कर चुके हैं जिनके लिए इसे पेश किया गया था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, स्वामित्व और हितों की सहायता और रक्षा के लिए, प्रदत्त भूमि के संबंध में, प्रस्तुत किया गया था।

जिनकी गरीबी और समाज में स्थिति का लाभ कुछ अमीर और समृद्ध व्यक्तियों ने उठाया, जिन्होंने या तो मामूली राशि देकर या उन्हें कुछ भी दिए बिना उनकी जमीन ले ली।

" 24. इसलिए, आइए हम विचार करें कि क्या वर्तमान मामले में किसी भी शर्त की पूर्ति होती है और इस प्रकार, चाहे, हस्तांतरण शून्य और शून्य होगा जो यह सूचित करता है या मानता है कि उसने कभी भी कोई अधिकार, शीर्षक या हित व्यक्त नहीं किया है।

इस तरह के हस्तांतरण द्वारा ऐसी भूमि। जहाँ तक पहली शर्त, अर्थात् ऐसी भूमि के अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में हस्तांतरण का संबंध है, इस मामले के तथ्यों में यह विवादित नहीं हो सकता है कि ऐसी भूमि के अनुदान की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि हस्तांतरण प्रमाण पत्र की तारीख के 15 साल बाद किया गया था, जो अनुदान में हस्तांतरण के निषेध के संबंध में एकमात्र शर्त थी। यह भी विवाद में नहीं है कि इस तरह के अनुदान के लिए प्रदान किए गए किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। इसलिए, जहां तक इन दोनों शर्तों का संबंध है, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि वे संतुष्ट नहीं हैं। अब, आइए हम तीसरी शर्त यानी अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के उल्लंघन में किए गए हस्तांतरण को ध्यान में रखें। इस शर्त के संबंध में, उप-धारा SATYAN v के उल्लंघन में अधिनियम के प्रारंभ के बाद दी गई किसी भी भूमि का हस्तांतरण।

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

(2) शून्य और शून्य होगा और ऐसी भूमि में कोई भी अधिकार, स्वामित्व या हित इस तरह के हस्तांतरण द्वारा व्यक्त नहीं किया जाएगा या कभी भी व्यक्त नहीं किया गया माना जाएगा। धारा 4 की उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से कहती है किः

" 4. (2) इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वीकृत भूमि का हस्तांतरण या अधिग्रहण नहीं करेगा।

सरकार की पूर्व अनुमति के बिना।

इसलिए, धारा 4 की उप-धारा (2) हस्तांतरणकर्ता द्वारा या हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरण या अधिग्रहण को प्रतिबंधित करती है।

पूर्ववर्ती के बिना किसी भी प्रदत्त भूमि का हस्तांतरणकर्ता सरकार की अनुमति। अतः इसके पश्चात

इस अधिनियम का प्रारंभ, यदि कोई हस्तांतरण किया जाता है या कोई व्यक्ति हस्तांतरण द्वारा किसी भी स्वीकृत भूमि का अधिग्रहण करता है, बिना

सरकार की पूर्व अनुमति, ऐसा हस्तांतरण अमान्य होगा और ऐसी भूमि में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित व्यक्त नहीं किया जाएगा या कभी भी व्यक्त नहीं किया गया माना जाएगा। इस तरह के हस्तांतरण द्वारा "।

मंचेगौड़ा और ओआरएस में फैसला कैसे आया। वी. की स्थिति

अताका और ओआरएस। 8 विचार किया जाना है, यह आगे देखा गया था, में

27 निम्नानुसारः

कर्नाटक के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी के लिए उच्च न्यायालय। हमारे विचार में, मंचेगौड़ा [(1984) 3 एस. सी. सी. 301] में इस न्यायालय के निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से अलग किया गया था। हम इस न्यायालय के फैसले से सहमत हैं।

मानचेगौड़ा [(1984) 3 एस. सी. सी. 301] लेकिन उस निर्णय में याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती का दायरा सीमित था जो कहा गया था उक्त निर्णय का पैरा 7 इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 305, पैरा 7)

“ 7 ... ... यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की वैधता जहां तक है

अनुदानित भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है अधिनियम के प्रारंभ को चुनौती नहीं दी गई है और

अधिनियम की वैधता पर प्रमुख आपत्ति इसलिए ली गई है क्योंकि

सी ए)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम के प्रारंभ से पहले स्वीकृत भूमि के हस्तांतरण को रद्द करने की मांग करने वाले अधिनियम के प्रावधान।

इसलिए, हम उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हैं कि इसके उपरोक्त निर्णय में याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती देने की गुंजाइश है।

न्यायालय सीमित था और इसलिए, वह निर्णय वर्तमान मामले में अपीलार्थी के लिए किसी भी सहायता का नहीं हो सकता है।

हरिश्चंद्र हेगड़े बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य "।

एक बार फिर, मामला उसी उक्त अधिनियम से संबंधित है और मंचेगौड़ा और अन्य के प्रभाव पर चर्चा करता है। वी. कर्नाटक राज्य और उस संदर्भ में, यह देखा गया है कि धारा 4, एक गैर-बाध्यकारी खंड को शामिल करने के आधार पर,

किसी भी चीज़ में निहित होने के बावजूद लागू होगा उस समय लागू समझौता या कोई अन्य अधिनियम।

अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम। तेज बहादुर प्रजापति और

11-उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम, 1956 के प्रावधानों की जांच की गई और उस संदर्भ में, पैरा 25 में यह टिप्पणी की गई कि राज्य आदिवासियों की अचल संपत्ति का संरक्षक और न्यासी है।

और यह देखने का आदेश दिया जाता है कि ऐसी संपत्ति पर आदिवासियों का कब्जा बना रहे। उस मामले में विनियमों में, सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, और सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 में बारह (12) वर्षों की अवधि अप्रासंगिक हो गई जहां तक किसी आदिवासी की अचल संपत्ति का संबंध था। ऐसे जनजातीय को एक दीवानी मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है जो सीमा के कानून द्वारा शासित होगा क्योंकि यह पर्याप्त है यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति राज्य या राज्य स्वयं उसकी रक्षा के लिए कार्रवाई करता है।

और उसे संपत्ति बहाल करें।

. जहां तक दस्तावेज़ के निष्पादन के तथ्यात्मक पहलुओं, चाहे बिक्री विलेखों का संबंध हो, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भूमि का प्रतिनिधित्व एक जी. पी. ए. द्वारा किया गया था, जो विक्रेता की पत्नी थी।

nt), और पूरी राशि का भुगतान नकद में किया गया था। यह जीपीए था

0 एस. सी. सी. 65 सत्यन बनाम डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

पंद्रह (15) वर्ष की अवधि से पहले भी निष्पादित किया गया था, और इस प्रकार स्पष्ट रूप से, लेनदेन की प्रकृति ऐसी थी कि यह पंद्रह (15) वर्ष की अवधि से पहले हुआ था, हालांकि औपचारिक बिक्री विलेख पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के बाद निष्पादित किया गया था। किसी भी स्थिति में, यह प्रस्तुत किया गया था कि पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।

22. एक अन्य पहलू जिस पर श्री द्वारा प्रकाश डालने की कोशिश की गई।

अहमदी, विद्वान वरिष्ठ वकील थे कि यह खुले भी नहीं थे

अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष कोई भी विवाद उठाया है, अपीलार्थी के आचरण को देखते हुए एक नया विवाद बहुत कम है, जिसने इस न्यायालय के समक्ष तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी के मामले की गंभीरता यह है कि उन्होंने पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है और इस तरह की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। यह पाया गया कि जिन दस्तावेजों को पूर्व अनुमति माना जा रहा है, वे जाली और मनगढ़ंत थे, जिनके लिए

आपराधिक कार्यवाही अलग से लंबित है। हालाँकि, अपील में प्रासंगिक कथन करते समय, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी गई थी। जिन दस्तावेजों को जाली पाया गया, उन्हें वास्तव में दबा दिया गया था। इस तरह

यह प्रस्तुत किया गया था कि दमन, अपीलार्थी को किसी भी राहत के लिए अयोग्य घोषित कर देगा। 23. उनकी प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने दमन के प्रभाव पर कुछ न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख करने की मांग की

इसके अंतर्गतः

ए। केडी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

Ors.[1]2 12-इस निर्णय के पैरा 37 में, प्रस्ताव का एक संदर्भ दिया गया था जैसा कि राजा की पीठ द्वारा प्रस्तावित किया गया था

निम्नलिखित शर्तें -

" 37. केन्सिंगटन आयकर आयोग में। [(1917) 1 के बी 486: 86 एलजेकेबी 257: 116 एलटी 136 (सीए)] विस्काउंट रीडिंग,

सी. जे. ने कहाः (के बी पीपी। 495-96)

" ..... जहां किसी नियम या अन्य प्रक्रिया के लिए इस न्यायालय में एकतरफा आवेदन किया गया है, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदन के समर्थन में हलफनामा

स्पष्ट नहीं था और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से नहीं बताया, लेकिन उन्हें इस तरह से कहा कि न्यायालय को सही तथ्यों के बारे में गुमराह करने के लिए, न्यायालय को अपनी सुरक्षा के लिए और रोकने के लिए

इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग, आगे बढ़ने से इनकार करना

12 (2008) 12 एससीसी 481 [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुणों की जांच के साथ। यह एक अंतर्निहित शक्ति है

जो न्यायालय के मन में विश्वास लाता है कि उसके पास है धोखा दिया गया। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सावधानी बरतें

वे आवेदक के शपथ पत्र में बताए गए हैं, और सब कुछ सुना जाएगा जिसे प्रभावित करने के लिए आग्रह किया जा सकता है

न्यायालय का दृष्टिकोण जब वह शपथ पत्र पढ़ता है और जानता है

वास्तविक तथ्य। लेकिन अगर इस परीक्षा का परिणाम और

सुनवाई इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि न्यायालय ने

धोखा दिया, तो यह आगे कुछ भी सुनने से इनकार कर देगा

एक कार्यवाही में आवेदक से जो केवल किया गया है

एक भ्रामक शपथ पत्र के माध्यम से गति में रखा गया "।

(जोर दिया गया) "

उपरोक्त सिद्धांत का पालन किया गया था

विशेषाधिकार रिटों से निपटने के दौरान, चाहे वह अनुच्छेद 32 के तहत हो या

भारत के संविधान का अनुच्छेद 226, और एक वादी नहीं हो सकता है

"छुपाएँ और खोजें" या "चुनें और चुनें" खेलने की अनुमति

तथ्य जिनका वह खुलासा करना पसंद करता है, और अन्य तथ्यों का खुलासा करना या न करना पसंद करता है।

तथ्य। इस प्रकार, "गंदे हाथों" वाला पक्ष उत्तरदायी नहीं है मनोरंजन किया।

बी। ए. षण्मुगम बनाम अरिया क्षत्रिय राजकुला वंशथु

मदालय नंदवन परिपलनाई संगम ने प्रतिनिधित्व किया

इसके अध्यक्ष द्वारा & Ors.[1]3 हरि नारायण बनाम। बद्री दास 1-दी गई छुट्टी रद्द कर दी गई थी

सी।

इस आधार पर कि जहां ऐसी छुट्टी प्राप्त की गई है तथ्यों का दमन, केवल यह तथ्य कि अनुमति दी गई थी,

न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के रास्ते में नहीं आएगा

राहत के लिए अपीलकर्ता।

24. हमने उपरोक्त विस्तृत तर्कों की जांच की है।

दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारे देश में

पदार्थ एक बहुत ही संकीर्ण कम्पास में है।

25. पहले अंतिम पहलू की ओर मुड़ना, यानी सामग्री का दमन।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तथ्यों से निपटने का तरीकालैंट वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। वहाँ भरा होना चाहिए था

2) 6 एससीसी 430

4) 2 एससीआर 203 सत्यन बनाम।

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

दस्तावेजों का प्रकटीकरण। हालाँकि, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते हैं कि नीचे दिए गए सभी आदेश इस तर्क पर आधारित हैं कि जबकि अपीलकर्ता ने एक मामला बनाने की मांग की थी कि अनुमति दी गई थी, वास्तव में ऐसी कोई अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दी गई थी, और इस संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली और मनगढ़ंत पाए गए थे। हालाँकि, आपराधिक कार्यवाही अभी भी लंबित है। उस पहलू पर, और हम इस पहलू पर मामले में आगे विस्तार नहीं करना चाहेंगे, जो वास्तव में प्रतिवादी-राज्य द्वारा प्रारंभिक आपत्ति की प्रकृति में है। यह आवश्यक नहीं है कि इस आधार पर ही अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा दायर न किया जाए, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि मामले के गुण-दोष पर ही विचार किया जाना चाहिए।

26. प्रत्यर्थी के तर्क में सार है-यह बताएँ कि अपीलार्थी ने पूरे समय के आधार पर एक मामला बनाने की कोशिश की थी -

सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व अनुमति। यह किसी का मामला नहीं था कि अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। दीवानी अपील के इस स्तर पर, बिना किसी अभिवचन के, अपीलार्थी के लिए यह वास्तव में खुला नहीं है कि उसने उस व्याख्या का अनुरोध किया हो जो उसने इस प्रकार करने का अनुरोध किया था। इसे वास्तव में केवल एक कानूनी याचिका के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और वह भी कार्यवाही के पदानुक्रम में जांच के पांचवें स्तर पर उठाया गया है। अपीलार्थी, वास्तव में एक तथ्यात्मक स्थिति का सामना कर रहा था जहाँ अनुमतियाँ मौजूद नहीं हैं, अब उसने यह तर्क देने के लिए एक और पुल बनाने की मांग की कि किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

27. यदि हम उपरोक्त याचिका का भी विश्लेषण करते हैं, तो हम उसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हम उस उद्देश्य को नहीं भूल सकते जिसके लिए उक्त अधिनियम बनाया गया है।

अधिनियमित किया गया। उक्त नियमों में मौजूद और अनुदानों में शामिल गैर-अलगाव खंड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अपर्याप्त पाया गया, जिन्हें दिया गया था।

उनकी अज्ञानता और गरीबी के कारण भूमि। समाज के प्रभावशाली और शक्तिशाली वर्गों को विचार के लिए बिक्री और बंधक प्राप्त करने के लिए कहा गया था, और अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ परिस्थितियों का शिकार हो गईं। उक्त अधिनियम को लागू करने में राज्य सरकार का उद्देश्य इस तरह के दुरुपयोग को रोकना था और इसलिए, स्पष्ट शब्दों में, अनुमति के साथ स्थानांतरण निर्धारित किया गया था। यह अनुदान की शर्तें या उक्त नियम होंगे। इस प्रकार, चाहे वह पांच (5) से पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के भीतर का मामला हो, या पंद्रह (15) वर्ष से अधिक की अवधि, ऐसी अनुमति की आवश्यकता होगी।

28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम के अधिनियमन से पहले एक अलग अधिनियम के तहत अधिनियमित उक्त नियमों का नियम 9 (और उसके बाद भी [2019] 6 एस. सी. आर.

संशोधित), कुछ नियमों और शर्तों पर पांच (5) से पंद्रह (15) वर्षों की अवधि के बीच हस्तांतरण पर विचार करता है, जिन्हें उपायुक्त द्वारा संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। वास्तव में, ऐसी अनुमति देने में तब तक निषेध है जब तक कि उपायुक्त को यह संतुष्टि न हो कि हस्तांतरण अन्य भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से है, या शेष भूमि में सुधार के लिए है और अनुदान प्राप्तकर्ता ऐसी हस्तांतरण की मंजूरी की तारीख को ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर राशि सरकार को जमा करता है। इस प्रकार, पाँच (5) से पंद्रह (15) वर्षों की अवधि के भीतर हस्तांतरण के लिए अधिक कठोर शर्तें रखी गई हैं।

29. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के बाद अनुमति देने या न देने के निर्णय पर पहुंचने का कारण इस तरह के विचारों से प्रभावित हो सकता है या नहीं भी। लेकिन निश्चित रूप से, वह खुद को संतुष्ट कर सकता है कि अनुसूचित जातियों के सदस्य और केवल अनुसूचित जनजातियों को, जिन्हें भूमि आवंटित की गई है, यात्रा के लिए नहीं लिया जाता है, और यह संभवतः दर्ज किए गए कारणों से उनके सर्वोत्तम हित में है कि ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के शब्द इसके शब्दों में काफी स्पष्ट हैं।

30. उप-धारा (1) में प्रदत्त भूमि के हस्तांतरण के निषेध से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 4 एक गैर-अबाधित खंड से शुरू होती है। यह किसी भी समझौते, अनुबंध या साधन में या किसी भी कानून में उस मामले के लिए कुछ भी होने के बावजूद है। उक्त अधिनियम की धारा 11 उक्त अधिनियम को किसी भी अन्य कानून पर एक प्रबल प्रभाव देकर इसे आगे लागू करती है। उक्त धारा 11 निम्नानुसार हैः

" 11. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए अधिनियम। - इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी प्रथा, उपयोग या अनुबंध या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी डिक्री या आदेश में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

31. उपरोक्त धारा अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में दिए गए अनुदानों के लिए लागू होती है। अनुदान की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) का अंतिम भाग उप-धारा (2) का उल्लंघन करने वाले किसी भी हस्तांतरण को भी अमान्य बनाता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) अपनी शर्तों में स्पष्ट और स्पष्ट है, जिसके बाद हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिनियम का प्रारंभ। इस प्रकार, प्रावधान का एक खाली अध्ययन इसे प्रचुर मात्रा में सत्यन v बनाता है।

डिपार्टमेंट कमिश्नर एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

32. विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में उल्लिखित कानूनी स्थिति भी इस संबंध में बहुत स्पष्ट है। मंचेगौड़ा में अवलोकन और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। , पैरा 24 में 1 5 को संदर्भ से बाहर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उस मामले में जिस प्रस्ताव को निर्धारित करने की मांग की गई है, उसकी जांच करनी होगी। अधिनियम की वैधता को मुख्य रूप से चुनौती दी गई थी क्योंकि अधिनियम की धारा 4 और 5 में निहित प्रावधानों को अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में की गई "स्वीकृत भूमि" के हस्तांतरण की घोषणा करने के लिए, ऐसी भूमि या कानून के अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में, अमान्य घोषित किया गया था। पैरा 14 में, न्यायालय के समक्ष जो आग्रह किया गया था, वह निर्धारित किया गया है, अर्थात, धारा 4 को चुनौती दी गई है क्योंकि यह अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए हस्तांतरण को रद्द करने का प्रयास करती है। उपरोक्त टिप्पणियों के संदर्भ में, पैरा 24 को पढ़ना होगा।

33. बाद की न्यायिक घोषणाओं को देखते हुए, विशेष रूप से धर्म नाइका में, उपरोक्त पहलू वास्तव में संदेह में नहीं है।

वी. राम नायका और Anr.16 मंचेगौड़ा बनाम में की गई टिप्पणियों का संदर्भ। कर्नाटक राज्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह ध्यान दिया जाता है कि बिक्री के लिए समझौतों को अधिनियम के प्रारंभ से पहले निष्पादित किया गया था। बिक्री विलेख को बाद में निष्पादित किया गया। उस संदर्भ में यह देखा गया कि यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा 4 (1) के प्रावधानों ने उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में किए गए भूमि के किसी भी हस्तांतरण को अमान्य घोषित कर दिया है यदि यह उसमें निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है। धारा 4 (2) को यह स्पष्ट करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि बिक्री विलेख उक्त अधिनियम के प्रारंभ के बाद निष्पादित और पंजीकृत किया गया था, और बिना पूर्व के था।

राज्य सरकार की अनुमति से ऐसा हस्तांतरण अमान्य और अमान्य होगा। उक्त अधिनियम की योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई जिसके उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। फैसला देने से पहले, इस न्यायालय ने पैरा 27 में कहा कि मंचेगौड़ा और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और Ors.[1]8 को सीमित दायरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि उस निर्णय के पैरा 7 में स्पष्ट किया गया है। इस फैसले के बाद वास्तव में और कुछ नहीं कहा जा सकता है, हालांकि कुछ अन्य न्यायिक घोषणाएं हैं जिनका उल्लेख उपरोक्त के लिए विद्वान वकील द्वारा किया गया है।

16 (ऊपर) 17 (ऊपर)

18 (ऊपर)

कार्रवाई करने वाले सक्षम प्राधिकारी के रास्ते में आएं, क्योंकि सीमा सिद्धांत लागू नहीं होंगे, जैसा कि अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम में देखा गया है। तेज बहादुर प्रजापति और अन्य "। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संदर्भित मामलों में लगभग बीस का भारी अंतराल शामिल था।

(20) तीस (30) वर्ष तक, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

34. आठ (8) वर्षों की अवधि को ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो इस तरह की देरी और बाधाओं के बराबर हो जो कार्रवाई को शून्य बना दे।

यह देखते हुए कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए एक लाभकारी कानून के संबंध में है।

35. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि हस्तांतरण के दस्तावेजों को स्वयं निष्पादित किया जाता है, यह भी बहुत अधिक विश्वास पैदा नहीं करता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, पूरा भुगतान नकद में किया जाता है। इसके अलावा, हस्तांतरण के दस्तावेजों को आवंटी द्वारा निष्पादित किया गया था, लेकिन वकील के माध्यम से, जो अपीलार्थी की पत्नी के अलावा और कोई नहीं है। जी. पी. ए. को पंद्रह (15) वर्षों की अवधि से पहले निष्पादित किया गया था, और यह अकल्पनीय है कि इसे बिना विचार किए निष्पादित किया गया होगा। ऐसा लगता है कि

सभी व्यावहारिक शर्तों के लिए, कथित हस्तांतरण पंद्रह (15) वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हुआ था, लेकिन बिक्री विलेख को पंद्रह (15) वर्ष की अवधि के बाद निष्पादित किया गया था। चाहे जो भी हो, इससे मामले के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36. हमारा विचार है कि निचली अदालतों ने कोई त्रुटि नहीं की है, और सक्षम प्राधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया है

लेन-देन जो उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं, और निष्पादन का तरीका ही कई संदेह पैदा करता है। 37. तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करना पड़ता है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

कल्पना के. त्रिपाठी

19 (ऊपर)